भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

लद्दाख का राजपत्र
The Ladakh Gazette

एस.जी.-एल.डी.-अ.-20062023-1209
SG-LD-E-20062023-1209

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

लद्दाख, 19 जून, 2023
LADAKH, MONDAY, JUNE, 19, 2023

Part II - Section 3

केन्द्र-शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन
ADMINISTRATION OF UNION TERRITORY OF LADAKH

उद्योग और वाणिज्य विभाग
Tele/Fax: 01982-255567, 255568 e-mail: ladakhdivcom@gmail.com

अधिसूचना लद्दाख, 9th of मई, 2023

सा.आ. 28. जबकि, सेवाओं या लाभों या सब्सिडी के वितरण के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी वितरण प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और लाभार्थियों को पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज दिखने की आवश्यकता को समाप्त करके एक सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सीधे उनकी पात्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

और जबकि, उपायुक्त/सीईओ, एलएएचडीसी, लेह, संघ राज्य लद्दाख का प्रशासन (इसके बाद विभाग के रूप में संदर्भित), हथकरघा विभाग द्वारा लेह ज़िले के कारीगरों को उपकरणों पर सब्सिडी(इसके बाद योजना के रूप में संदर्भित) प्रदान कर रहा है।

जिसे अधीक्षक हथकरघा विकास विभाग, एलएएचडीसी लेह (बाद में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में संदर्भित) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और जबकि, योजना के तहत, वित्तीय सहायता (इसके बाद लाभ के रूप में संदर्भित) कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा योजना और जांच के अधीन उद्देश्य के लिए गठित समिति के दिशानिर्देशों के अनुसार लेह जिले के स्थानीय कारीगरों को दी जाती है (इसके बाद लाभार्थियों के रूप में संदर्भित)

और जबकि, पूर्वोक्त योजना में भारत की संचित निधि से लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में किया गया आवर्ती व्यय शामिल है;

इसलिए, अब, दिनांक 5.12.2017 के सा.आ. 3836 (ई) आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संघ राज्य लद्दाख का प्रशासन, इसके द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करता है, यथा ; -

1. (1) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को आधार संख्या होने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा या आधार प्रमाणीकरण से गुजरना होगा।

(2) योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को योजना के लिए पंजीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, बशर्ते कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकित होने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट www.Uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से उन लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जो अभी तक आधार के लिए नामांकित नहीं हैं और आधार नहीं होने की स्थिति में संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में स्थित नामांकन केंद्र, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से यूआईडीएआई के मौजूदा रजिस्ट्रार के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा:

बशर्ते कि जब तक व्यक्ति को आधार नहीं दिया जाता है, तब तक योजना के तहत लाभ ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों के उत्पादन के अधीन दिया जाएगा, यथा : -

(ए) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(बी) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्: -

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान पत्र; या

(vi) किसान फोटो पासबुक; या

(vii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा जारी ड्राइविंग लाइसेंस; या

(viii) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा आधिकारिक लेटर हेड पर जारी किए गए ऐसे व्यक्ति की फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; या

(ix) विभाग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

बशर्ते कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच विभाग द्वारा विशेष रूप से उस उद्देश्य के लिए नामित अधिकारी द्वारा की जा सकती है।

2. योजनान्तर्गत हितग्राहियों को सुविधापूर्वक लाभ उपलब्ध कराने हेतु विभाग अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा। मीडिया के माध्यम से हितग्राहियों को उक्त आवश्यकता से अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

3. सभी मामलों में, जहां लाभार्थियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से आधार प्रमाणीकरण विफल हो जाता है, निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र को अपनाया जाएगा, यथा: -

(ए)खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता के मामले में, प्रमाणीकरण के लिए आईरिस स्कैन या फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा को अपनाया जाएगा, जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से लाभ के वितरण के लिए आईरिस स्कैनर या फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के साथ-साथ फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण के लिए प्रावधान करेगा;

(बी) उंगलियों के निशान या आईरिस स्कैन या चेहरे के प्रमाणीकरण के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण सफल नहीं होने की स्थिति में, जहां भी संभव हो, आधार वन टाइम पासवर्ड या सीमित समय वैधता के साथ टाइम आधारित वन-टाइम पासवर्ड, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा;

(सी) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम-आधारित वन-टाइम पासवर्ड प्रमाणीकरण संभव नहीं है, योजना के तहत भौतिक आधार पत्र के आधार पर लाभ दिया जा सकता है, जिसकी प्रामाणिकता त्वरित प्रतिक्रिया के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है। आधार पत्र पर मुद्रित कोड एवं त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था विभाग द्वारा अपनी क्रियान्वयन एजेंसी के माध्यम से सुविधाजनक स्थानों पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

4. उपरोक्त के अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना के तहत कोई भी वास्तविक लाभार्थी अपने देय लाभों से वंचित नहीं है, विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से डीबीटी मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के दिनांक 19 दिसंबर 2017 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित अपवाद प्रबंधन तंत्र का पालन करेगा।

1. यह अधिसूचना संघ राज्य लद्दाख के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

उपराज्यपाल के आदेश से जारी .

सौगत बिस्वास, (आईएएस)
आयुक्त/सचिव,
उद्योग और वाणिज्य
संघ राज्य लद्दाख।

Industries & Commerce Department
Tele/Fax: 01982-255567, 255568 e-mail: ladakhdivcom@gmail.com

Notification Ladakh, 9th of May, 2023

S.O. 28. Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And Whereas, the **DEPUTY COMMISSIONER/CEO, LAHDC LEH, ADMINISTRATION OF Union Territory of Ladakh** (hereinafter *referred to as the Department*), is administering the **Subsidy on Tools (**hereinafter referred to as the scheme) by Handloom Development **Department to the artisans of Leh District.**

Which is being implemented through the **Superintendent Handloom Development Department, LAHDC Leh** (*hereinafter referred to as the Implementing Agency);*

And whereas, under the Scheme **Financial Assistance** (*hereinafter referred to as the benefit*) is given to the **Local Artisans of Leh District** (**hereinafter to as the beneficiaries**), by the implementing Agency as per the extant of Scheme guidelines and subject to scrutiny by a committee constituted for the purpose;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred in Union territory of Ladakh from the consolidated fund of India;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), read with S.O. 3836 (E) dated 5.12.2017, the Administration of Union Territory of Ladakh, hereby notifies the following, namely;-

1. (1) An Individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any Individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrollment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www. Uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals, subject to the production of the following documents, namely:-

(a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
(b) any one of the following documents, namely:-
  (i) Bank or Post Office Passbook with Photo; or
  (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
  (iii) Passport; or
  (iv) Ration Card; or
  (v) Voter Identity Card; or
  (vi) Kisan Photo Passbook; or
  (vii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(viii) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or

(ix) Any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

(a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;

(b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time based One- Time Password with limited time validity, as the case be, shall be offered;

(c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One -Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. In addition to the above, in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as outlined in the Office Memorandum of DBT Mission, Cabinet Secretariat, Government of India dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication, in the Official Gazette of Union territory of Ladakh.

By order of the Lieutenant Governor.

SAUGAT BISWAS
Digitally signed by SAUGAT BISWAS
Date: 2023.06.19 17:01:45 +05'30'

Saugat Biswas, (IAS)
Commissioner/Secretary,
Industries & Commerce
UT Ladakh.

AJEET KUMAR SAHU
Digitally signed by AJEET KUMAR SAHU
Date: 2023.06.20 10:25:52 +05'30'

"No legal responsibility is accepted for the contents of publication of advertisements/publications in this part of The Ladakh Gazette. Persons notifying the advertisements/public notices will remain solely responsible for the legal consequences and also for any other misrepresentation etc."